

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 38/2020

अनवान

1. मैसर्स अगम डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा०लि०-ए/147 कुमद विहार, भीलवाडा जरिये डायरेक्टर(1) नन्दकिशोर पुत्र श्री राधेश्याम जिन्दल आयु वयस्क (2) श्रीमती निधि पत्नि श्री नन्दकिशोर जिन्दल आयु वयस्क(3) पूर्वा पुत्र श्री नन्दकिशोर जिन्दल आयु वयस्क(4) आकाश पुत्र श्री नन्दकिशोर जिन्दल आयु वयस्क निवासी -237 काशीपुरी, भीलवाडा।

-प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति सोनी देवी पत्नि श्री नारायण लाल अहीर निवासी औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा हाल पुलिस लाईन के पीछे भीलवाडा तह. व जिला भीलवाडा।
2. श्री सीताराम पुत्र श्री उदा अहीर निवासी औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री शंकर पुत्र श्री नन्दा अहीर निवासी औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री राधेश्याम पुत्र श्री नन्दा निवासी औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती जडाई देवी पत्नी श्री नन्दा अहीर निवासी औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 19.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 05.06.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 497 के आ.न. 1834/1 रकबा 1.0622 है, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.06.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 497 के आ.न. 1834/1 रकबा 1.0622 है, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ